2.1

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर में लमचूला—गनीगांव मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 694 / 2015 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 4417 / 111(2) / 15—04(मु.मं.घो) / 2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ ब्लौक के लमचूला से गनीगांव तक मोटर मार्ग 3.00 कि0मी0 लम्बाई एवं रू0 21.36 लाख की (प्रथम चरण—वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर के विकास खंड गरूड़ अन्तर्गत ग्राम लमचूला (657) एवं गनीगांव (631) कुल 1288 आवादी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लमचूला में ई.एन.एम. सैन्टर खोला गया है। यातायात की समुचित व्यवस्था न होने से स्थानीय जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा डंगोली—सैलानी मोटर मार्ग से गनीगांव तक 6 कि.मी. मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें सर्वेक्षण उपरान्त भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 77 / 2008 / एफ्.सी. / 1708 दिनांक 17.01.2009 द्वारा 3.17 है. वन भूमि की विधिवत स्वीकृति एवं शा.सं.जी.आई.—1848 / 7—1— 2009 / 600 (2012) / 2008 दिनांक 22.01.2009 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जखेड़ा—डाकघट लमचूला मोटर मार्ग लम्बाई 10 कि.मी. के निर्माण में आने वाली 5.425 है. वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 117 / 2007 / एफ्.सी. / 1854 दिनांक 17.02.2009 द्वारा विधिवत स्वीकृति एवं शा.सं. जी.आई.—1950 / 7—1— 2009 / 600 (1846) / 2007 दिनांक 20.02.2009 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब स्वीकृत मोटर मार्ग इन्हीं दो मोटर मार्गों को जोड़ने हेतु स्वीकृत किया गया है जो लमचूला ई.एन.एम. सैन्टर से आरम्भ होकर गनीगांत में पूर्व निर्मित मार्ग में मिल जायेगा।

वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता हैं। इस क्षेत्र का शिक्षा एवं व्यापार का मुख्य केन्द्र बज्यूला है। यातायात की समुचित सुविधा न होने से ग्रामीण जनता को शासन द्वारा प्रदत्त 108 चिकित्सा वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने एवं नियमित यातायात सुविधा न होने के कारण इन गांवों में कोई भी अधिकारी / कर्मचारी अपनी सेवायें नहीं देना चाहते जिससे क्षेत्र में मुख्य रूप से चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न होने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा के साथ ही अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देंगे जिससे चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार होगा। ग्रामीणों को गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे वृक्षों का अवैध पातन रूकेगा। ग्रामीण मोटर मार्ग होने एवं कम से कम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है और अवशेष मलवा निस्तारण हेतु अतिरिक्त भूमि का प्राविधान लैन्ड शैडयूल में किया गया है।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग—अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण लमचूला नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार संरेखण में अधिकतर नाप भूमि के अलावा सिविल सोयम, वन पंचायत एवं एक स्थान पर मात्र 500 मीटर आरक्षित वन भूमि आ रही है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ही रखा गया है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने से भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया हैं।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 3.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 0.802 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 12 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता
क्षान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशाषी अभियन्ता
क्षान्तीय खण्ड लो॰ नि॰ वि॰
बागेश्वर